Public Works Department from 14th July, 1987 to 19th August, 1987;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN) : (a) to (c) Reconsideration of this particular case cannot be determined in isolation. However, this is being examined in the context of Government policy.

उत्तर रेलवे में कनिष्ठ लेखा सहायकों की नियुक्ति

448. **श्री सोहन लाल धुस्सिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 में उत्तर रेलवे में नियुक्त किए गए 50 कनिष्ठ लेखा सहायकों को सेवा मुक्त किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें परिशिष्ट–ii ए परीक्षा पास न कर पाने के कारण सेवा मुक्त करने का निर्णय लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें केवल 3 अवसर ही दिये गये हैं जबकि 1986 से पहले नियुक्त किए गए कर्मचारियों को 6 अवसर दिये गये थे ; और

(घ) क्या सरकार इन्हें सेवा मुक्त करने की बजाय इन्हें भी 6 अवसर देने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) और (ख) उत्तर रेलवे पर 1986 में कनिष्ठ लेखा सहायकों के रूप में 414 स्नातकों की सीधी भर्ती की गई थी । वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, जिन्हें जून, 1986 में दोहराये गये थे और उनके नियुक्ति-पत्रों में दिये गये शर्तों के अनुसार सेवा में बने रहने के लिए इन सहायकों को सेवा में आने के 3 वर्षों के अन्दर 2 प्रयासों में परिशिष्ट–ii (आई आर ई एम) की परीक्षा उत्तीर्ण करनी अपेक्षित थी । इन 414 रंगरूटों में 39 परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे हैं जबकि बोर्ड की अनुमति से उन्हें एक अतिरिक्त तीसरा अवसर दिया गया है । तदनुसार उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(ग) सीधे भर्ती किये गये कनिष्ठ लेखा सहायकों के मामले में, परिशिष्ट–ii आई आर ई एम की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कभी भी छह अवसरों की अनुमति नहीं दी गयी है । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इन 39 रंगरूटों को परीक्षा में भाग लेने के लिए 3 अवसर दिये गये हैं।

(घ) जैसा कि ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताया जा चुका है, वर्तमान विनियमों के अनुसार यह अपेक्षित है कि सीधे भर्ती किये गये कनिष्ठ लेखा सहायकों को सेवा में आने के तीन वर्षों के अन्दर 2 प्रयासों में परिशिष्ट–ii आई आर ई एम की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । रेलवे बोर्ड की अनुमति से सेवा में आने के 4 वर्षों के अन्दर परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक अतिरिक्त तीसरा अवसर दिया गया है । इस प्रकार, इन 39 उम्मीदवारों, जिन्हें 3 अवसर पहले ही दिये जा चुके हैं, को 6 अवसर देने का कोई इरादा नहीं है । तथापि, सेवा मुक्त कर्मचारी यदि अनुरोध करते हैं तो संबंधित रेलवे यूनिट से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनके गुण-दोष के आधार पर उन्हें लेखा विभाग में नयी भर्ती मानते हुए लेखा लिपिक के रूप में नियुक्त करने के बारे में बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों ।

Harassment to Passengers of Reserved Compartments

449. SHRI NARAYAN KAR :
SHRI SHIV PRATAP MISHRA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the harassment to railway